## हॉलमार्क वाली वस्तुओं की विक्री के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र Certificate of Registration for Selling Articles with Hallmark

Certificate No.: HM/C-5190179419 प्रमाणपत्र सं:: एचएम/सी- 5190179419

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 <mark>के 11) द्वा</mark>रा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर यह ब्यूरो एतद्द्वारा निम्नलिखित को प्रमाणपत्र प्रदान/<del>प्रमाणपत्र का नवीकरण</del> करता है। (यथा-अनुप्रयोज्य काट दें)

By virtue of the powers conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/ renews the certificate granted to (strike out as applicable)

M/s B. PAUL JEWELLERY PALACE 92 FEEDER ROAD, BELGHARIA,

Distt: North 24 Parganas

West Bengal, 700056

यहाँ अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए, उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में दिखाई गई वस्तु पर हॉलमार्क का उपयोग करने हेत् प्रमाणपत्र, और विक्री आऊटलेट से हॉलमार्क वाली वस्तु की बिक्री करना, जिसके लिए यह प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में दिखाए गए भारतीय मानक के लिए अनुरूपता का सत्यापन करने के पश्चात् केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र द्वारा ही वस्तुओं पर हॉलमार्क लगाया जाएगा।

Certificate for using Hallmark set out in the first column of the Schedule here to, upon the article, set out in the second column of the said Schedule, and selling of hallmarked article from the sales outlet to which the Certificate is being granted to. The articles shall be hallmarked only by Assaying and Hallmarking centre recognised by the Bureau of Indian Standards (BIS) after verification of conformity to the Indian Standard as set out in the third column of the said Schedule

## अनुसूची Schedule

	Schedule	the same of the sa
हॉलमार्क	वस्तु	भारतीय मानक
Hallmark	Article	Indian Standard
	Hallmarking of Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts	IS 1417: 2016

2. इस प्रमाणपत्र का प्रचालन, भारतीय <mark>मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016, भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2017, भारतीय मानक ब्यूरो</mark> हॉलमार्किंग विनियम 2018 और तदनुसार <mark>जारी अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लिए जारी मार्गद</mark>र्शी सिद्धातों के अनुसार किया जाएगा। This Certificate shall operate in accordance with the provisions laid down in Bureau of Indian Standards Act, 2016 Bureau of Indian Standards Rules 2017, Bureau of Indian Standards Hallmarking Regulations, 2018 and guidelines for conformity assessment scheme issued thereunder.

3. यह प्रमाणपत्र तारीख 02/03/2020 से 01/03/2025 तक वैध होगा और संबंधित विनियमों के अनुसार इसका नवीकरण किया जायेगा। आज तारीख बारहवाँ दिन मार्च दो हजार बीस को हस्ताक्षरित एवं मृहरांकित किया गया।

This Certificate shall be valid from 02/03/2020 to 01/03/2025 and may be renewed in accordance with the said Regulations. Signed, Sealed and Dated this Twelfth day of March Two Thousand Twenty.

अनुभाग अधिकारी

विकास चन्द्र पान / VIKAS CHANDRA PAN अनुभाग अधिकारी / SECTION OFFICER भारतीय मानक व्यूरी / BUREAU OF INDIAN STANDARDS 1/14, सी.आई टी.स्कीम VII एम/1/14, C.I.T. SCHEME VII M थी. आई.पी. रोड, कांकुरगाछी/VIP ROAD, KANKURGACHI

कोलकाता-700 054/KOLKATA-700 054